न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 85 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 कानाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बड़ी तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र बालुराम।
2 सांवरमल दत्तक पुत्र बुद्धाराम।
3 छाजूराम पुत्र रामनिवास।
4 सागरमल पुत्र रामनिवास।
5 महेन्द्र पुत्र रामनिवास।
6 हरलाल पुत्र रामनिवास।
7 सेडूराम पुत्र रामनिवास।
8 मु0 भगवानी देवी पत्नी भगवान सहाय।
9 ताराचन्द पुत्र भगवान सहाय।
10 हणमान (मृत)।
10/1 शैतान पुत्र हणमान।
10/2 फूलाराम पुत्र हणमान।
10/3 झाबर पुत्र हणमान।
10/4 राजेन्द्र पुत्र हणमान।
11 गोकुलराम पुत्र जैसाराम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

12 मोहनसिंह पुत्र जैसाराम।
13 रोशनसिंह पुत्र जैसाराम।
14 सरजीत सिंह पुत्र जैसाराम।
15 मु0 अणची बेवा जैसाराम।
16 लक्ष्मणसिंह पुत्र मोठूराम।
17 नेकीराम पुत्र मोठूराम।
18 बनवारीलाल पुत्र मोठूराम।
19 सुरेश कुमार पुत्र मोठूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी मंगावावाली तन ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
20 जगदीश सिंह पुत्र बागसिंह।
21 प्रहलाद सिंह पुत्र बागसिंह।
22 मालसिंह पुत्र बागसिंह।
23 नवरतन सिंह पुत्र बागसिंह।
23/1 गुड़ूसिंह पुत्र नवरतन सिंह।
23/2 प्रतापसिंह पुत्र रवरतन सिंह।
24 सज्जनसिंह पुत्र बागसिंह।
25 दशरथ सिंह पुत्र बागसिंह।
26 हरिसिंह पुत्र गंगासिंह।
27 श्योदान सिंह पुत्र जयसिंह।
28 राजेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह।
29 मनोहर सिंह पुत्र जयसिंह।
30 पूर्णसिंह पुत्र जयसिंह।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन
अधिकारी श्री ब्रहम्लाल जाट आर.ए.एस.
आवेदन संख्या 6/16 उनवानी कानाराम
बनाम जगदीश आदि दिनांकित 07.11.17
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल बरबड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–20.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 810,809,804 व 803 के सीमाओं के उपर से रास्ते की मांग की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 11.02.2014 द्वारा खसरा नम्बर 810 की पश्चिमी उत्तरी सीमा के सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश दिया इसके विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 19/2014 में निर्णय दिनांक 04.12.2015 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुन निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। इसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अपीलांट द्वारा की गई जो खारिज हो गई इस पर प्ररकण पुन विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय दिनांक 07.11.2017 पारित कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुये खारिज किया है कि प्रार्थना पत्र आत्यंतिक आवश्यकता का नही पाये जाने व सहखातेदारी भूमि का होने से खारिज किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण विचारण न्यायालय ने अंकित नही किया है। प्रार्थी अपीलांट ने दोराने अपील शपथ पत्र बाबत समर्पणनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 810,809 तन ग्राम बागरियावास की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 808 व 806 में आने जाने हेतु मुझे रास्ते की सख्त आवश्यकता है इस हेतु भूमि खसरा नम्बर 810 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ते में जाने वाली भूमि के रकबे का मेरे द्वारा रास्ते के लिए समर्पण किया जा रहा है अर्थात रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा मेरे हिस्से मे से कम किया जाकर रास्ता दर्ज कर दिया जावे तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नही है। अपीलांट ने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में कृषि कार्यो हेतु रास्ते का प्रावधान है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मकानों तक रास्ते का प्रावधान नही है। खसरा नम्बर 812 अपीलांट का स्वंय का है फिर दूसरे अन्य खसरो से रास्ता क्यों चाह रहे है। इस न्यायालय द्वारा एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अत विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2014 में खसरा नम्बर 810 की पश्चिमी उत्तरी सीमा के सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया गया। इसकी अपील में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्णय दिनांक 04.12.2015 के द्वारा पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुन निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 808,806 में जाने हेतु खसरा नम्बर 810 व 812 की सहखातेदारी में से रास्ता देने बाबत अप्रार्थी जगदीश के अलावा सभी पक्षकार सहमत होने का अंकन विचाराधीन निर्णय में किया गया है। अपीलांट ने दौराने अपील शपथ पत्र बाबत समर्पण नामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 810,809 तन ग्राम बागरियावास की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 808 व 806 में आने जाने हेतु मुझे रास्ते की सख्त आवश्यकता है इस हेतु भूमि खसरा नम्बर 810 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ते में जाने वाली भूमि के रकबे का मेरे द्वारा रास्ते के लिए समर्पण किया जा रहा है अर्थात रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा मेरे हिस्से मे से कम किया जाकर रास्ता दर्ज कर दिया जावे तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नही है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 809 की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 2 सांवताराम पुत्र बुद्वराम के नाम है अंकित है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

खसरा नम्बर 810 सहखातेदारी का है जिसमें अपीलांट भी सहखातेदार है। चूकि अपीलांट ने शपथ पत्र समर्पण नामा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 810 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ते में जाने वाली भूमि के रकबे का समर्पण स्वंय के हिस्से में से कम किया जाकर रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है। रास्ते की आवश्यकता एवं नैसर्गिक न्याया के सिदान्त को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं रास्ते के सम्बंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार प्रार्थी अपीलांट के आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 810 की पश्चिमी उत्तरी सीमा तथा खसरा नम्बर 809 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। दोनों खसरा नम्बरान में रास्ते में आने वाली भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 809 मे रास्ते में आने वाली भूमि का नापकर रकबा कम किया जाकर कुल क्षेत्रफल का वर्तमान में प्रचलित बाजार की दर से 2 गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थी सांवता को भुगतान हेतु डिमाण्ड ड्राफट पेश करें। खसरा नम्बर 810 में रास्ते में आने वाली भूमि का नापकर रकबा प्रार्थी अपीलांट के हिस्से मे से कम कर रास्ते का अंकन करें। तदनुसार तहसीलदार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर